CMYK

इंटरनेट पर देखें
www.dainikdawa.com

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन से विज्ञापन के लिए अधिकृत

दैनिक प्रात: संस्करण

" यो आत्मानं वेति, सर्वं स वेति" ।।

दावा

आर.एन.आई.नं. 58841/93
डाक पंजीयन छ.ग./दुर्ग/14/2024-26

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

वर्ष- 43 | अंक -253 | राजनांदगांव, मंगलवार 30 जुलाई 2024 | पृष्ठ - 8 | मूल्य - 4.00 रुपए

लोकसभा में राहुल बोले- अग्निपथ स्कीम ने सैनिकों का सम्मान छीना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीखी बहस

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर संसद में मोदी सरकार को घेरा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके आरोपों का जवाब दिया। लोकसभा में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राहुल ने आरोप लगाया कि अग्निपथ स्कीम ने देश के सैनिकों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मान छीन लिया है। बता दें कि 1 जुलाई को भी लोकसभा में राहुल गांधी और रक्षा मंत्री के बीच इसी तरह की तीखी बहस हुई थी।

अग्निपथ योजना के बारे में गुमराह किया जा रहा : रक्षा मंत्री

राहुल गांधी ने दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान से वंचित कर दिया है, क्योंकि अग्निपथ योजना में उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना सरकार की 'युवा-विरोधी और किसान-विरोधी' नीतियों को उजागर करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत राहुल पर बजट को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण अपने आगामी भाषण में इन्हें लेकर जबाव देंगी। राजनाथ ने कहा कि राहुल अग्निपथ योजना के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे लोकसभा में हंगामा मच गया।

राहुल गांधी ने अग्निवीर अजय कुमार का मुद्दा उठाया

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कर्तव्य के दौरान मारे गए अग्निवीर अजय कुमार का मुद्दा उठाया और उनके पिता का एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि परिवार को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला और उन्होंने सुविधाओं और पेंशन की मांग की है। अजय कुमार के परिवार ने बाद में साफ किया कि उन्हें कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की। अजय के पिता का कहना है कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए और हमें पेंशन और कैंटीन कार्ड मिले। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पीएम मोदी अग्निवीर को शहीद नहीं मानते : राहुल

राहुल गांधी ने कहा- एक अग्निवीर की लैंडमाइन ब्लास्ट में जान चली गई, लेकिन उसे 'शहीद' का दर्जा नहीं मिला। मैं उसे शहीद मानता हूं, लेकिन भारत सरकार नहीं। पीएम मोदी उसे शहीद नहीं कहते। वे उसे अग्निवीर कहते हैं। उसके परिवार को पेंशन या मुआवजा नहीं मिलेगा। अग्निपथ योजना उन्हें एक मजदूर की तरह अस्थायी मानती है। इस पर बीजेपी सांसदों ने जमकर विरोध किया।

राजनाथ सिंह ने कहा- राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। कर्तव्य के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। उन्हें सदन को गलत बयानों से गुमराह नहीं करना चाहिए। हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

राहुल गांधी बोले- 'बजट बनाने वालों में कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी अफसर नहीं', वित्त मंत्री ने पकड़ लिया सिर

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में महाभारत में चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु की हत्या का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। साथ ही, जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया।

राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो भी दिखाई। राहुल ने कहा, 'इस फोटो में कोई पिछ?ा, दलित या आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने हलवा बनाया और अपने 20 लोगों में बांट दिया। बजट कौन बना रहे हैं, वही दो या तीन प्रतिशत लोग। हम जातिगत जनगणना लाकर इस विषमता को खत्म करेंगे।' राहुल गांधी की यह बात सुनकर सदन में बैठीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। सीतारमण की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में वायरल है।

राहुल गांधी ने सुनाई अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी

राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु की हत्या का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, 6 लोगों (कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपा, शकुनि, दुर्योधन) ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी। आज भी छह लोगों ने अपने चक्रव्यूह में देश को फंसा रखा है। ये छह लोग हैं - नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, मोहन भागवत, अंबानी और अडानी।

मोहन भागवत का नाम लेने पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोका। स्पीकर ने बताया कि जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी तीन नाम (डोभाल, अंबानी और अडानी) हटाने पर राजी हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डर का माहौल है। हम कहते हैं, डरो मत और डराओ मत। राहुल गांधी के मुताबिक, भाजपा में केवल एक शख्स को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की आजादी है। नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा में ऐसा कोई नहीं कर सकता।

संसद परिसर में पत्रकारों पर पाबंदी, शीशे के कमरे से ही होगी कवरेज, पीसीआई ने जताया विरोध

नई दिल्ली। संसद परिसर में पत्रकारों पर एक नई पाबंदी लगाई गई है। अब पत्रकार संसद परिसर के अंदर घूम-घूमकर सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बयान नहीं ले सकेंगे। उन्हें एक शीशे के कमरे से ही संसद के बाहर की गतिविधियों को कवर करना होगा।

पत्रकारों पर पाबंदी का विरोध

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने इस नए नियम का विरोध किया है। उन्होंने पत्रकारों का एक वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए इस पाबंदी को हटाने की मांग की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्रकार एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और वहां काफी भीड़ है।

क्या है पूरा मामला?

नए संसद भवन के मकर द्वार पर पत्रकार पहले सांसदों की प्रतिक्रिया लेते थे, लेकिन अब उन्हें वहां खड़े होने की अनुमति नहीं है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

दिल्ली कोचिंग हादसा, गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाई : 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी

मृतकों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा

नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल में तीन विद्यार्थियों की मौत मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन कर दिया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक समिति कारणों की जांच करेगी। इसके अलावा जिम्मेदारी तय करेगी। साथ ही उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

समिति में ये अधिकारी होंगे शामिल

समिति में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी और अग्निशमन सलाहकार सदस्य होंगे। वहीं गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव संयोजक होंगे।

संसद में भी उठा मुद्दा

दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया है। उन पर गैर-इरादतन हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार को इस घटना की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी। सदस्यों ने जिम्मेदारी तय करने की मांग की ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो सके।

इन विद्यार्थियों ने गंवाई थी जान

27 जुलाई को राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने की वजह से तीन विद्यार्थियों की जान गई थी। दर्दनाक हादसे में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले निविन दलविन ने अपनी जान गंवाई थी। घटना के तीसरे दिन भी छात्रों ने राऊस आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया।

करीब 30 छात्र थे फंसे

पुलिस के मुताबिक बेसमेंट में काफी पानी भरा था। वहां करीब 30 छात्र फंसे थे। 14 छात्रों को पुलिस ने बचाया। बाकी छात्र खुद ही बचकर निकलने में सफल रहे हैं। हालांकि इस दौरान तीन विद्यार्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेसमेंट में पानी कम होने पर तीनों के शव मिले। अग्निशमन विभाग को 27 जुलाई को शाम करीब सात बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर और करोल बाग इलाके में जलभराव की सूचना मिली थी।

भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द आरएसएस लेगा फैसला, संगठन मंत्रियों में फेरबदल तय

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने के बाद भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत भाजपा संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। खासतौर से संगठन मंत्रियों में फेरबदल होना तय है। इसके साथ ही संघ से नए संगठन मंत्री भी भाजपा में भेजे जा सकते हैं।

कई राज्यों में संगठन मंत्री नहीं

अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के साथ ही गोवा व पूर्वोत्तर के कई राज्यों में संगठन मंत्री हैं ही नहीं। केंद्रीय स्तर पर यह बदलाव होना है या नहीं यह अभी तय नहीं है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 24-25 जुलाई को भाजपा के संगठन मंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में भाजपा के संगठन में कमजोरियों और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

आरएसएस लेगा फैसला

बैठक में कई राज्यों में संगठन मंत्रियों के नहीं होने और कई संगठन मंत्रियों की अधिक उम्र के कारण सक्रियता में कमी का भी मुद्दा उठा। इसमें कई संगठन मंत्रियों को नए राज्यों में भेजे जाने के संकेत भी दिये गए, (शेष पृष्ठ 6 पर...)

सीएम साय ने की कृषि मंत्री से मुलाकात

शिवराज बोले- कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास बनने नहीं दिया, केंद्र के पैसे को वापस भेजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को दोपहर 12 बजे उन्होंने कृषि भवन में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और बैठक में छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है।

सीएम श्री साय और केंद्रीय मंत्री श्री चौहान के बीच होने वाली इस मुलाकात में राज्य की कृषि नीतियों, छत्तीसगढ़ के कृषि विकास पर पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं आज शाम तक उनके वापिस लौटने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया। इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ (शेष पृष्ठ 6 पर...)

बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए, वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है और सितंबर में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, ईडी पहले ही पूरी कर चुकी जांच

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) पहले ही जांच पूरी कर चुकी है।

इस बीच, सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाएं सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस दलील का विरोध किया कि दिल्ली सीएम को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वकील डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, जांच एजेंसी को मामले में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने के और सबूत मिले। वकील डीपी सिंह ने कहा कि आज दायर की गई चार्जशीट में केजरीवाल समेत छह लोगों के नाम हैं, लेकिन उनमें से पांच को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग

केजरीवाल जेल में हैं और दिल्ली में बाहर हंगामा हो रहा है। दरअसल, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत पर लगातार हंगामा हो रहा है। सोमवार को कोचिंग सेंटर के छात्रों के साथ ही भाजपा ने प्रदर्शन किया।

रक्षा खरीद परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों व इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को बेहतर किया जाएगा। दूसरी ओर तटरक्षक बलों की इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए भी आधुनिक प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।

यह निर्णय सोमवार को हुई एक बैठक में लिए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (एएफवी) के लिए उन्नत भूमि नौवहन प्रणाली (एएलएनएस) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है।

किस काम में होगा उपयोग

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ यह प्रणाली स्पूफ-प्रूफ है। एएलएनएस एमके-द्वितीय रक्षा श्रृंखला मानचित्रों के साथ अनुकूलता प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप एएफवी के लिए नौवहन संबंधी अनुप्रयोगों में बहुत अधिक सटीकता होती है। यह उपकरण चेन्नई स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से खरीदा जाएगा। यह भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा। एएलएनएस एमके-द्वितीय जीपीएस और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएलओएनएएसएस) से लैस है। इसके अलावा भारतीय समूह (आईआरएनएसएस, एनएवीआईसी), भारत का उपयोग करके भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, नेविगेशन के साथ संगत है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय तट रक्षक की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु भी पहल की गई है। इसके अंतर्गत डीएसी ने समुद्री सीमा में त्वरित अवरोधन और उथले पानी में संचालन में सक्षम नवीनतम अत्याधुनिक प्रणाली के साथ 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया। इन नौकाओं का उपयोग चिकित्सा संबंधी निकासी सहित तटीय निगरानी एवं गश्त, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा।

यूपी : लव जिहाद के साथ नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन पर होगा आजीवन कारावास

सदन में पेश हुआ बिल

लखनऊ। लव जिहाद, एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है।

सोमवार को विधानसभा में पेश किए गये उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। साथ ही, विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्राविधान किए गये हैं। बता दें कि संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

CMYK